न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **सुनील कुमारा**,(RAS)

वाद संख्या :– **152/2024** GCMS 2024/280

वादी :–

1. तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

1. प्रथम बंसल पुत्र राजकुमार बंसल जाति अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी
2. मदन सिंह मेड़तिया पुत्र सलाब सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी
3. रोहित अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल जाति अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी
4. साहिल अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी
5. उप पंजीयक कुचामन सिटी

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राजपैरोकार

श्री भीकमचंद प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 27/03/2025

वादी तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत इस वाद का का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1183/752 कुल रकबा 0.6282 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग कर लिया है। इसलिए प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि को राजकीय दर्ज कर वादी को कब्जा सुपुर्द करने का आदेश फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को अकृषि भूमि में उपयोग में ले रहे हैं। अज्ञानतावश व बिना किसी कानूनी जानकारी के अभाव में किया गया है। स्थगन आदेश होने के कारण प्रतिवादी उत्तरदाता भू–रूपान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिवत् तरीके से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे है न ही उक्त खसरा नम्बर की भूमि को अन्य उपयोग में ले पा रहे है तथा भू–रूपान्तरण होने के कारण विवश है। उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण 03 माह की अवधि में करवा लेंगे। जवाब शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण के जवाब का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का मत है कि वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी होने व प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन नहीं करवा पा रहे हैं। कानून का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में लेने से पूर्व उक्त भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क अदा कर संपरिवर्तन करवाकर ही भूमि का गैर कृषि उपयोग लिया जावे। प्रतिवादीगण अब वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन करवाना चाहते हैं लेकिन स्थगन आदेश प्रभावी होने व प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संपरिवर्तन नहीं करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

पा रहे है। प्रतिवादीगण 03 माह में संपरिवर्तन करवाने के लिए वचनबद्ध भी है। अतः वाद में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–

–: आदेश :–

वाद वादी सर्शत खारिज किया जाता है कि तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन करवा लेने के पश्चात् ईजराय की पालना की जावे। यदि प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन नहीं करवाते है तो सीपीसी के प्रावधानानुसार सुसंगत धाराओं में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:20 IST
Reason: SelfAttested